न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/63/2018	08–08–2018	18–12–2018

1–ग्यारसा पुत्र श्री गंगासहाय जाति चमार निवासी ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमति शांति स्त्री फूलिया जाति चमार
2–रमेश पुत्र फूलिया जाति चमार
3–नरेश पुत्र फूलिया जाति चमार निवासीयान ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर।

–असल अप्रार्थीगण

4–उमराव पुत्र मोहन जाति चमार
5–प्रकाश पुत्र मामचन्द जाति चमार
6–सेढ़ा पुत्र रामदयाल जाति चमार
7–उमराव पुत्र मांगू जाति चमार निवासीयान ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
8–तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री मनीष कुमावत –वकील प्रार्थी
02. श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी शांति बनाम ग्यारसा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद बअनुवानी शांति बनाम ग्यारसा उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन है। असल प्रतिवादी संख्या 4 प्रहलाद व तरतीबी प्रतिवादी बदलू व छोटू का स्वर्गवास हो गया है। जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु वादीगण ने कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश निवेदन किया कि उक्त प्रतिवादीगण का स्वर्गवास हो जाने पर भी वादीगण ने उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया इसलिए वादीगण का दावा अबेट हो चुका है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु दावा मृतक व्यक्तियों की हद तक ही अबेट किया गया। जबकि पूरा दावा अबेट करना चाहिए था। पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया गया कि उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी दायर करेंगे इसलिए उक्त मुकदमें में करीब 20 दिन की तारीख पेशी नियत की जावें। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहां कि मुकदमें का निर्णय दिनांक 10.08.2018 को ही करेंगे साथ ही यह भी कहां कि दावा डिक्री किये जाने योग्य है। पीठासीन अधिकारी महोदय् ने अपनी राय स्पष्ट जाहिर कर दी, जिससे प्रार्थी को यह अन्देशा हुआ कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय करेंगे। वादनी भी गांव में खुले–आम कहं रही है कि दिनांक 10.08.2018 को उसके पक्ष में निर्णय हो जावेगा। उक्त स्थिति में मुकदमें को उपखण्ड अधिकारी बानसूर से किसी दीगर न्यायालय में मुंतकित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुकदमा बउनवान शांति बनाम ग्यारसा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर से किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज.)

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि यह स्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 4 प्रहलाद व तरतीबी प्रतिवादी बदलू व छोटू का स्वर्गवास हो गया है। मृतक व्यक्तियों की हद तक दोनों पक्षों की सुनवाई कर दावा अबेट किया है। पीठासीन अधिकारी पर मात्र प्रार्थना–पत्र पेश करने की गर्ज से आक्षेप लगाये गये है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कभी–भी कोई राय जाहिर नहीं की गई और ना ही अप्रार्थी ने गांव में कोई ऐलान किया। उक्त तथ्य झूठे एवं बेबुनियाद है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमनें पत्रावली एवं अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्ररकण में विधिक प्रकिया अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है। मनमानी तरीके से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मेरे द्वारा प्रकरण कोई भी राय जाहिर नहीं की गयी है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये सभी आरोप झूठे व मनगढन्त है। प्रार्थी द्वारा अनावश्यक विलम्ब करने से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण गत 18 सालो से लम्बित है। प्रार्थी के वकील बहस नहीं कर प्रकरण में अनावश्यक देरी कर रहे है। फिर भी उक्त प्ररकण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बानसूर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)